रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072022-237554
CG-DL-E-25072022-237554

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2022/श्रावण 3, 1944
No. 526] NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2022/SHRAVANA 3, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

सं. 63/2022- सीमा शुल्क (गै.टै)

सा.का.नि. 599(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 28ज की उपधारा (1), धारा 28टक की उपधारा (1) और धारा 28ड की उपधारा(1) के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा अग्रिम विनिर्णय के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण विनियमावली, 2021 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामशः

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन विनियमों को अग्रिम विनिर्णय के लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण (संशोधन) विनियमावली, 2022 कहा जा सकता है।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अग्रिम विनिर्णय के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण विनियमावली, 2021 (इसके बाद उक्त विनियमावली के रुप में संदर्भित) में, विनियम 2 में,

(क) खण्ड (घ) के उपखण्ड (ii) को विलोपित किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ङ) में, "बोर्ड" शब्द के लिए, "प्राधिकरण" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त विनियमावली में, विनियम 6 में,-

(क) उपविनियम(1) में, तालिका में, कॉलम(2) में, "अग्रिम विनिर्णय के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण, दिल्ली" शब्दों को "अग्रिम विनिर्णय के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण, नई दिल्ली " शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप विनियम(2) में "दिल्ली" शब्द को "नई दिल्ली" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपविनियम(3) के लिए, निम्नलिखित उपविनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः

"(3) सचिव एक सार्वजनिक नोटिस, जिसमें संबंधित प्राधिकरण का पता, फोन नंबर तथा उससे संबंधित अन्य ब्यौरों का उल्लेख हो, बोर्ड को सूचित करते हुए प्रकाशित करेगा";

(घ) उपविनियम (4) को विलोपित किया जाएगा;

(ड़) उपविनियम(5) में, "उपनियम(1)" शब्द, कोष्ठक तथा अंक को "उपविनियम(1)" शब्द, कोष्ठक तथा अंक से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) उपविनियम(6) के लिए, निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः

"(6) प्रत्येक आवेदन एक कॉमन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दायर किया जाएगा और इसके साथ दस हजार रुपए की ऑनलाइन फीस भी लगी होगी:

बशर्ते कि जब तक कॉमन पोर्टल के माध्यम से दायर करना तथा ऑनलाइन फीस का भुगतान संचालित नहीं होता, तब तक प्रत्येक आवेदन चार प्रतियों में दाखिल किया जाएगा और इसके साथ "अग्रिम विनिर्णय सम्बंधी सीमा शुल्क का प्राधिकारी, नई दिल्ली" (Customs Authority for Advance Rulings, New Delhi) अथवा "अग्रिम विनिर्णय सम्बंधी सीमा शुल्क का प्राधिकारी, मुम्बई," (Customs Authority for Advance Rulings, Mumbai) जैसा भी मामला हो," के पक्ष में दस हजार रुपए का शुल्क एक मांग देय ड्राफ्ट के रूप में संलग्न किया जाएगा।"

4. उक्त विनियमावली में, विनियम 7 में,-

(क) उपविनियम(1) को विलोपित किया जाएगा;

(ख) उपविनियम(2) में, "विनियमों में" शब्दों को "अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपविनियम(3) में, शब्दों "इन विनियमों के अधीन" को "अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) उपविनियम (4) को विलोपित किया जाएगा।

5. उक्त विनियमावली में, विनियम 8 में,-

(क) उपविनियम(1) को विलोपित किया जाएगा;

(ख) उपविनियम (4) को विलोपित किया जाएगा;

(ग) उपविनियम(5) में, "परीक्षित तथा पंजीकृत" पृष्ठांकन उस पर किया जाएगा और उसको क्रम संख्यांक आवंटित किया जाएगा" को शब्द " उक्त आवेदन को एक क्रमांक आवंटित किया जाएगा" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) उपविनियम(6) में, "उप-नियम(3)" शब्द, कोष्ठक तथा अंक को "उप विनियम(3)" शब्द, कोष्ठक तथा अंक से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ड) उपविनियम(7) में, "उप-नियम(5)" शब्द, कोष्ठक तथा अंक को "उपविनियम(5)" शब्द, कोष्ठक तथा अंक से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) उपविनियम(8) में, "उप-विनियम(7)" शब्द, कोष्ठक तथा अंक को "उपविनियम(7)" शब्द, कोष्ठक तथा अंक से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(छ) उपविनियम(12) में, "प्राधिकरण द्वारा नियत आनुकल्पित स्थान" शब्दों को "प्राधिकरण द्वारा नियत आनुकल्पिक स्थान अथवा आवेदक या प्रधान आयुक्त अथवा सीमाशुल्क आयुक्त के अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा यथा उपयुक्त माना गया कोई माध्यम" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. उक्त विनियमावली में, विनियम(9) में, "किया जाएगा" शब्द को "है" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. उक्त विनियमावली में, विनियम 10 को विलोपित किया जाएगा।

8. उक्त विनियमावली में, विनियम(11) में, उपविनियम(2) में "उप विनियम(1) शब्द, कोष्ठक तथा अंक को "उपविनियम(1)" शब्द, कोष्ठक तथा अंक से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. उक्त विनियमावली में, विनियम(12) को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः-

"12. सूचनाओं आदि की तामील का ढंग - आवेदन अथवा याचिका से जुडे पक्षकारों को तथा प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त के मामले में भेजे जाने वाली सूचनाओं अथवा अपेक्षित दस्तावेजों की तामील अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।"

10. उक्त विनियमावली में, विनियम(13) को विलोपित किया जाएगा।

11. उक्त विनियमावली में, विनियम(16) में, उप-विनियम(2) को विलोपित किया जाएगा।

12. उक्त विनियमावली में, विनियम 19 में, परंतुक में, "नियम के अधीन" शब्दों को "इस विनियम के अधीन" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

13. उक्त विनियमावली में, विनियम 20 को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः-

"20 आवेदन का वापस लिया जाना - आवेदक अपने आवेदन को अग्रिम विनिर्णय की घोषणा होने से पूर्व किसी भी समय वापिस ले सकता है।"

14. उक्त विनियमावली में, विनियम 27 में, निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, नामशः

"बशर्ते कि आवेदक के अनुरोध पर वाणिज्यिक गोपनीय सूचना को संरक्षण देने के उद्देश्य से प्राधिकरण/प्राधिकारी जरूरी उपाय कर सकता है।"

15. उक्त विनियमावली में, फार्म सीएएआर-1 में, क्रम संख्या 13 के सामने, कॉलम(2) में, "किया जाना" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः

"किया जाना (केवल एक क्षेत्रीय प्रधान आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त का उल्लेख करना अनिवार्य है)"।

[फा. सं. 275/16/2018-सीएक्स.8ए पार्ट]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव

नोट: मुख्य विनियमावली भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 4(अ) दिनांक 04 जनवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2022

No. 63/2022 – Customs (N.T.)

G.S.R. 599(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with sub-section (1) of section 28H, sub-section (1) of section 28KA and sub-section (1) of section 28M of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations to amend the Customs Authority for Advance Rulings Regulations, 2021, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Customs Authority for Advance Rulings (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Customs Authority for Advance Rulings Regulations, 2021 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2,

(a) sub-clause (ii) of clause (d) shall be omitted;

(b) in clause (e), for the word "Board", the word "Authority" shall be substituted.

3. In the said regulations, in regulation 6,-

(a) in sub-regulation (1), in the Table, in column (2), for the words "Customs Authority for Advance Rulings, Delhi.", the words "Customs Authority for Advance Rulings, New Delhi." shall be substituted;

(b) in sub-regulation (2), for the word "Delhi", the words "New Delhi" shall be substituted;

(c) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(3) The Secretary shall publish a public notice specifying therein the address, phone number and other details related to the concerned Authority, under intimation to the Board.";

(d) sub-regulation (4) shall be omitted;

(e) in sub-regulation (5), for the words, brackets and figure "sub-rule (1)", the words, brackets and figure "sub-regulation (1)" shall be substituted;

(f) for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(6) Every application shall be filed online through a common portal and shall be accompanied by an online fee of ten thousand rupees:

Provided that until the filing through a common portal and payment of online fee is operationalised, every application shall be filed in quadruplicate and shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees in the form of demand draft drawn in favour of "Customs Authority for Advance Rulings, New Delhi" or "Customs Authority for Advance Rulings, Mumbai", as the case may be."

4. In the said regulations, in regulation 7,-

(a) sub-regulation (1) shall be omitted;

(b) in sub-regulation (2), for the words "in these regulations.", the words "as per the provisions of the Act." shall be substituted;

(c) in sub-regulation (3), for the words "under these regulations.", the words "as per the provisions of the Act." shall be substituted;

(d) sub-regulation (4) shall be omitted.

5. In the said regulations, in regulation 8,-

(a) sub-regulation (1) shall be omitted;

(b) sub-regulation (4) shall be omitted;

(c) in sub-regulation (5), for the words "an endorsement "examined and registered" shall be made thereon and a serial number allotted thereto.", the words "a serial number shall be allotted to the said application." shall be substituted;

(d) in sub-regulation (6), for the words, brackets and figure "sub-rule (3)", the words, brackets and figure "sub-regulation (3)" shall be substituted;

(e) in sub-regulation (7), for the words, brackets and figure "sub-rule (5)", the words, brackets and figure "sub-regulation (5)" shall be substituted;

(f) in sub-regulation (8), for the words, brackets and figure "sub-rule (7)" the words "sub-regulation (7)" shall be substituted.

(g) in sub-regulation (12) for the words "place fixed by the Authority.", the words "place fixed by the Authority or any medium as deem fit by the Authority, on the request by the applicant or Principal Commissioner or Commissioner of Customs." shall be substituted.

6. In the said regulations, in regulation 9, for the words "of shall be", the word "is" shall be substituted.

7. In the said regulations, regulation 10 shall be omitted.

8. In the said regulations, in regulation 11, in sub-regulation (2), for the words, brackets and figure "sub-rule (1)", the words, brackets and figure "sub-regulation (1)" shall be substituted.

9. In the said regulations, for regulation 12, the following regulation shall be substituted, namely:-

"12. Mode of service of notices, etc. -The service of notices or documents required to be served on the parties to the application or petition and in the case of a Principal Commissioner or Commissioner may be served as per the provisions of the Act."

10. In the said regulations, regulation 13 shall be omitted.

11. In the said regulations, in regulation 16, sub-regulation (2) shall be omitted.

12. In the said regulations, in regulation 19, in the proviso, for the words "under this rule", the words "under this regulation" shall be substituted.

13. In the said regulations, for regulation 20, the following regulation shall be substituted, namely:-

"20. Withdrawal of application. – The applicant may withdraw his application at any time before an advance ruling is pronounced.".

14. In the said regulations, in regulation 27, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that at the request of the applicant, the Authority may take necessary steps in order to protect commercially confidential information."

15. In the said regulations, in the Form CAAR-1, against serial number 13, in column(2), for the words "to be undertaken", the following shall be substituted, namely:-

"to be undertaken. (It is mandatory to mention only one Jurisdictional Principal Commissioner/Commissioner of Customs.)".

[F. No. 275/16/2018-CX.8A(Pt)]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 4(E), dated the 4th January, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.25 20:10:13 +05'30'